

इन डेपथ: लंबति मामलों और मध्यस्थता में कमी

प्रलिस के लयि:

[वैकल्पिक वविद समाधान \(Alternative Dispute Resolution- ADR\)](#), [भारतीय न्यायापालिका](#), [धारा 89](#), [सविलि प्रकरयिा संहति \(Civil Procedure Code- CrPC\), 1908](#), [मध्यस्थता](#), [मध्यस्थता और समझौता](#), [अधीनस्थ न्यायालय](#), [कोवडि-19](#), [वधिकि सेवा प्राधकिरण \(Legal Services Authorities- LSA\) अधनियिम, 1987](#), [कृत्रमि बुद्धमितता](#), [बगि डेटा](#), [मशीन लरनगि और ब्लॉकचेन](#)

मेन्स के लयि:

भारत में मध्यस्थता से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा कीजयि ।

चर्चा में क्यो?

नवंबर 2019 तक [भारतीय न्यायापालिका](#) पर लंबति मामलों का भारी दबाव है, सर्वोच्च न्यायालय में लगभग **60,000** मामले, वभिन्नि उच्च न्यायालयों में **4.47** मलियन मामले तथा ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में **31.4** मलियन मामले लंबति हैं, जसिके कारण [वैकल्पिक वविद समाधान \(Alternative Dispute Resolution- ADR\)](#) पद्धतियों पर नरिभरता बढ़ रही है ।

वैकल्पिक वविद समाधान (ADR) क्या है?

परचिय:

- वैकल्पिक वविद समाधान (ADR) [सविलि प्रकरयिा संहति \(Civil Procedure Code- CrPC\), 1908](#) की [धारा 89](#) के अंतर्गत प्रदान कयिा गया है और इसमें पारंपरिक न्यायालयी कारयवाही के बाहर वविदों को नपिटाने के लयि वभिन्नि तरीकों को शामिल कयिा गया है ।

वधियौ:


- **CrPC** की [धारा 89](#) न्यायालय को कसिी वविद को वभिन्नि तरीकों से नपिटाने के लयि संदर्भति करने की अनुमतद्वैती है, जब ऐसा प्रतीत होता है कपिकर्षों को स्वीकारय समाधान प्राप्त कयिा जा सकता है ।
- इन वधियौ में [समझौता](#), [मध्यस्थता](#) और [सुलह](#) शामिल हैं ।
 - **समझौता**: यह तब होता है जब दो या अधिक पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं ककिसिी वविद अथवा संभावति वविद को एक या अधिक नषिपक्ष वयक्तयिों द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी तरीके से हल कयिा जाएगा ।
 - मध्यस्थता के माध्यम से प्राप्त नरिणय को "पुरस्कार" कहा जाता है, जो पक्षों पर बाध्यकारी होता है और न्यायालयों द्वारा लागू कयिा जा सकता है । सुलह और मध्यस्थता (Conciliation and Mediation) के वपिरीत, मध्यस्थता पुरस्कार के खलिाफ कोई अपील नहीं होती है ।
 - **मध्यस्थता**: यह एक ऐसी प्रकरयिा है जसिमें एक स्वतंत्र तीसरा वयक्तवविदति पक्षों को बातचीत के माध्यम से समाधान तक पहुँचने में मदद करता है ।
 - यह तीसरा वयक्त, जसि मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है, चर्चाओं को सुगम बनाता है और पक्षों को आम सहमतबिाने में सहायता करता है, लेकिन वविद के गुण-दोष पर राय वयक्त नहीं करता है । मध्यस्थ वविद का नरिधारण नहीं करता है, बल्कबातचीत की प्रकरयिा में सहायता करता है ।
 - **सुलह**: सुलह एक ऐसी प्रकरयिा है जसिमें एक तीसरा पक्ष पक्षों को उनके वविद के लयि पारस्परिक रूप से स्वीकारय समाधान तक पहुँचने में सहायता करता है । तीसरे पक्ष को, जसि सुलहकर्त्ता के रूप में जाना जाता है, दोनों पक्षों की आपसी सहमतसे नयिकृत कयिा जाता है ।
 - मध्यस्थता और न्यायालयी मुकदमेबाज़ी के वपिरीत, सुलह एक स्वैच्छिक एवं गैर-बाध्यकारी प्रकरयिा है ।

भारत में वैकल्पिक वविद समाधान (Alternative Dispute Resolution- ADR) की क्या आवश्यकता है?

- **न्यायिक लंबित मामले:** भारत में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण न्याय मिलने में काफी विलंब हो जाता है।
 - **दिसंबर, 2023** तक देश भर की विभिन्न अदालतों में **लगभग पाँच करोड़** मामले लंबित थे।
- **महंगा मुकदमा:** पारंपरिक अदालती मुकदमा महंगा है, जिसमें अदालती फीस, वकीलों की फीस और अन्य संबंधित लागतें जैसे दस्तावेजी शुल्क, यात्रा व्यय तथा प्रशासनिक लागतें शामिल हैं, जो इसे कई व्यक्तियों के लिये वहन करने योग्य नहीं बनाती हैं।
- **लंबी अदालती प्रक्रियाएँ:** भारत में अदालती प्रक्रियाएँ अक्सर लंबी और समय लेने वाली होती हैं, जिससे मामले के समाधान में देरी बढ़ जाती है।
 - औसतन, **उच्च न्यायालयों** में एक मामले के नपिटारे में लगभग **चार वर्ष** और **अधीनस्थ न्यायालयों** में लगभग **छह वर्ष** लगते हैं।
- **सुगम्यता:** भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा **अशिक्षित और गरीब** है, जिसके लिये न्यायिक प्रणाली अत्यधिक तकनीकी, लंबी तथा महंगी है।
 - ADR इन व्यक्तियों के लिये एक सरल एवं अधिक **सुलभ विकल्प** प्रदान करता है।
- **समुत्थानशीलता और दक्षता:** ADR कार्यवाही समुत्थानशील होती है, जिससे पक्षकारों को लागू कानून चुनने, किसी भी सहमततरीके और भाषा में कार्यवाही करने तथा कम बैठकों में मामलों को नपिटाने की सुविधा मिलती है, जिससे समय एवं व्यय की बचत होती है।
- **सुविधा:** ADR में, पक्षकार तटस्थ तृतीय पक्ष के लिये तथि, स्थान और शुल्क पर **पारस्परिक रूप से सहमत** हो सकते हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो जाती है।
- **न्यायालय का भार कम करना:** छोटे मामलों को ADR में स्थानांतरित करने से न्यायालयों को अधिक गंभीर मामलों, विशेषकर **जघन्य अपराधों** से संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है।
- **सरकारी व्यय:** मुकदमेबाजी से अदालतों के परिचालन व्यय में वृद्धि होती है, जिनका वित्तपोषण सार्वजनिक धन से होता है।
 - ADR के माध्यम द्वारा मामलों की संख्या कम करने से इन लागतों को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- **रिशतों को बनाए रखना:** मुकदमेबाजी प्रयास: रिशतों को नुकसान पहुँचाती है और भावनात्मक तनाव का कारण बनती है। ADR विवादों को सुलझाने का एक अधिक सौहार्दपूर्ण तरीका प्रदान करता है, जिससे रिशतों को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

मध्यस्थता केंद्र के रूप में उभरने में भारत की क्या क्षमता है?

- **आर्थिक विकास:** जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का वसितार हो रहा है, वाणिज्यिक विवादों की मात्रा भी आनुपातिक रूप से बढ़ रही है, जिससे इन विवादों को कुशलतापूर्वक हल करने हेतु मज़बूत मध्यस्थता तंत्र की आवश्यकता हो रही है।
- **प्रौद्योगिकी का प्रभाव:** **कोविड-19** महामारी ने आभासी मध्यस्थता सुनवाई की ओर बदलाव लाया है, जिससे मध्यस्थता प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के चल रहे एकीकरण की दक्षता में काफी वृद्धि हुई है।
- **कानूनी विशेषज्ञता:** भारत में अत्यधिक **कुशल वकीलों, न्यायाधीशों और मध्यस्थों** का एक समूह है, जो मध्यस्थता प्रथाओं में पारंगत हैं तथा जटिल विवादों से नपिटने के लिये एक मज़बूत आधार प्रदान करते हैं।
- **कानूनी सुधार:** भारत ने वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने मध्यस्थता कानूनों का आधुनिकीकरण किया है, जिसमें विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर **नियंत्रक कन्वेंशन** का पालन करना भी शामिल है, जिससे मध्यस्थता-अनुकूल क्षेत्राधिकार के रूप में इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है।
- **मध्यस्थता संस्थाएँ:** देश में भारतीय मध्यस्थता परिषद (**Indian Council of Arbitration- ICA**), **मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (Mumbai Centre for International Arbitration- MCIA)** और **दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (Delhi International Arbitration Centre- DIAC)** जैसे स्थापित मध्यस्थता केंद्र हैं, जो विवाद समाधान के लिये संरचित तथा पेशेवर वातावरण प्रदान करते हैं।



//

वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिये सरकार के विभिन्न उपाय क्या हैं?

- **भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (India International Arbitration Centre- IIAC):** इसकी स्थापना **भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019** के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों विवादों हेतु प्रमुख मध्यस्थता सेवाएँ तथा सुविधाएँ प्रदान करने के लिये की गई थी।
- **लोक अदालतें:** इसे **वधिकि सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authorities- LSA) अधिनियम, 1987** के तहत बढ़ावा दिया गया था, ताकि मुकदमे और पूर्व- मुकदमेबाज़ी दोनों चरणों में विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके, लोक अदालतों द्वारा लिये गए नरिणय बाध्यकारी होते हैं और सविलि अदालत के आदेशों के समतुल्य होते हैं।
- **कानूनी ढाँचे की स्थापना:**
 - **मध्यस्थता अधिनियम, 2023:** यह न्यायालयों को विवादों को मध्यस्थता के लिये संदर्भित करने का अधिकार देता है और मध्यस्थता हेतु एक व्यापक वधियायी ढाँचा प्रदान करता है।
 - **धारा 89, सविलि प्रक्रिया संहिता, 1908:** वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution- ADR) वधियों के रूप में लोक अदालतों सहित मध्यस्थता, समझौता, मध्यस्थता और न्यायिक नपिटान को मान्यता देता है तथा उनका समर्थन करता है।
 - **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:** घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता तथा वदिशी मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित कानूनों को एकीकृत एवं संशोधित करने के लिये अधिनियमित किया गया।
 - **वर्ष 2015, 2019 और 2021 के संशोधन** न्यायिक हस्तक्षेप को कम करते हुए त्वरति, **लागत प्रभावी तथा संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित** करते हैं।
 - **वाणज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015:** इसमें वर्ष 2018 में संशोधन किया गया ताकि कुछ वाणज्यिक विवादों के **लिये वाद-पूर्व मध्यस्थता और नपिटान (Pre-Institution Mediation and Settlement -PIMS)** की शुरुआत की जा सके, जसिमें

प्रश्न. राष्ट्रपतिद्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा से मध्यस्थतम् और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किये गए हैं? यह भारत के विवाद समाधान यंत्रकित्व को किस सीमा तक सुधारेगा? चर्चा कीजिये। (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/in-depth-reduction-in-pendency-of-cases-arbitration>

